/102158/2024

कार्यालय महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून

(मसूरी बाईपासरोड़, जोगीवाला, नत्थनपुर, देहरादून , पुलिया नं0–6 के समीप)

पत्रांक : 102158/ म0नि0नि0 / 2024–25 दिनांक : 02 अगस्त, 2024

सेवा में,

1.समस्त जिला निबंधक, उत्तराखण्ड।
2.समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तराखण्ड।

विषय :– कृषि ऋण के प्रयोजनार्थ बन्धक विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया उत्तराखण्ड शासन, वित्त–अनुभाग–9, की अधिसूचना संख्या 229530 / 2024 / XXVII(9) / स्टाम्प–55 / 2019 दिनांक 01 अगस्त, 2024 की छायाप्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय

Signed by Atul Kumar Sharma
Date: 02-08-2024 15:18:11

(अतुल कुमार शर्मा)
सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं संख्या उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन को सचिव वित्त महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. मण्डलायुक्त, गढवाल / कुमायूं, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबंधन महोदय उत्तराखण्ड को सादर संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप महानिरीक्षक निबंधक, कुमायूं मण्डल।
7. समस्त उप निबंधक, उत्तराखण्ड।
8. कार्यालय प्रति।

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
(मुख्यालय)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I/229530/2024

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0पत्रा0 सं0–31788
संख्या 229530 / 2024 / XXVII(9) / स्टाम्प–55 / 2009
देहरादूनः दिनांकः 01 अगस्त, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 02 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में शासन की पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुये रू0 5,00,000/–(रूपये पाँच लाख मात्र) तक के कृषि सम्बन्धी क्रिया–कलापों के प्रयोजनार्थ लिये गये ऋणों हेतु निष्पादित बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य न किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

Signed by V. Shanmugham
Date: 01-08-2024 14:58:10
(डा0 वी0 षणमुगम)
सचिव।

संख्या–229530(1) / 2024 / XXVII(9) / स्टाम्प–55 / 2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूं उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. उप–निदेशक, लिथो प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि हिन्दी अधिसूचना की प्रति असाधारण गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियाँ शासन के वित्त अनुभाग–9 को उपलब्ध करा दें।
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सी0 रविशंकर)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 01/08/2024 04:15 PM